समाचार पत्र पंजीयन क्र.: MPBIL/2004/13955 डाक पंजीयन संख्या: म.प्र./भोपाल/4–461/2021–23 मूल्य : रू. 10/–

Reg. No. 756-13.02.1960

उद्यम प्रेरणा

6 दशकों से MSME की सेवा में समर्पित

NABET Gold Category

वर्ष: 18 अंक: 08 भोपाल प्रकाशन दिनांक: 25.04.2021

पाक्षिक पोस्टिंग दि. 15 एवं 30 प्रत्येक माह पृष्ट–08 (परिपत्र क्र. 16–17)

विनम्र निवेदन

समस्त सम्माननीय सदस्यगण,

आज यह द्वितीय वित्तीय वर्ष 2021–22 के प्रथम माह अप्रेल का अंतिम दिवस है। जबकि पूरा भारत कोविड–19 के संक्रमण की द्वितीय लहर से जूझ रहा है। महामारी के इस संकट कालीन समय में हमें पूर्ण आशा है कि, आप सपरिवार पूर्णतः स्वस्थ्य एवं पूर्ण आनंदपूर्वक होंगे। आपकी तथा आपके परिवार और व्यावसाय हेतु हमारी मंगल कामनाएँ है।

आर्गेनाइजेशन निरंतर व्यापार, उद्योग के उत्थान–उन्नति हेतु सदैव प्रयत्नशील रहा है तथा भविष्य में भी रहेगा। इस संबंध में आपसे अपेक्षा है कि यदि आपके कोई सुझाव एवं विचार प्रदेश के व्यापार एवं व्यावसाय के उत्थान हेतु हो तो अपने सुझावों एवं विचारों से हमें अवश्य अवगत कराने का कष्ट करें, ताकि उन पर अवश्यक, आपेक्षित कार्यवाही संभव हो सकें।

जैसा कि, आपको विदित ही है कि, प्रत्येक वर्ष अप्रेल से संस्था का वार्षिक सदस्यता शुल्क देय होता है। वर्तमान में महामारी के कारण व्यक्तिगत तौर पर सम्पर्क संभव नही है। ऐसे कठिन दौर में आपसे हमारा विनम्र आग्रह है कि, अपनी बकाया सदस्यता शुल्क की राशि कृपया सीधे संस्था के बैंक खाते में चेक अथवा NEFT द्वारा जमा कराने का कष्ट करें तथा उसकी जानकारी संस्था के कार्यालय को भी देने की कृपा करें।, ताकि आवश्यक प्राप्ति रसीद जारी की जाना संभव हो सकें।

आप बकाया राशि की जानकारी संस्था के कार्यालय से दूरभाष क्रमांक 0755–2467714, 4917785 मो. 8827006714 से भी प्राप्त कर सकते है। संस्था का बैंक खाता विवरण निम्नानुसार है।

a. A/c Name: MP Small Scale Industries Organization
b. A/c No.: 451702010003610
c. Bank Name: Union Bank of India, Arera Colony Branch, Bhopal.
d. IFSC Code: UBIN0545171

सधन्यवाद।

भवदीय

(मुकेश कुमार मित्तल)
कोषाध्यक्ष

M.P. Small Scale Industries Organization
E-2/30, Arera Colony, Bhopal - 462016 (M.P.)

अध्यक्ष: **अरूण जैन** ❄ महासचिव : **विपिन कुमार जैन**

परिपत्र क्रमांक : 16

''वे कारण जिनके लिए आपकी आयकर विवरणी खारिज हो सकती हैं''

आयकर विभाग ने डाउनलोड पेज में मुफ्त रिटर्न तैयारी सॉफ्टवेयर प्रदान किया है जो डेटा गुणवत्ता आवश्यकताओं के पूर्ण अनुपालन में हैं। हालांकि, वहॉ व्यावसायिक रूप से उपलब्ध सॉफ्टवेयर के माध्यम से तैयार किए गए आईटीआर में डेटा गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए, ई–फाइलिंग पोर्टल में विभिन्न प्रकार के सत्यापन नियमों को तैनात किया जा रहा है, ताकि जो डेटा अपलोड किया जा रहा है, वह काफी हद तक मान्य हो सके। करदाताओं को यह सुनिश्चित करने के लिए समीक्षा करने की सलाह दी जाती है कि जो साफ्टवेयर उपयोग किया जाता है, वह इन आवश्यकताओं के अनुपालन में है, जो खराब डेटा गुणवत्ता या रिटर्न में गलतियों के कारण वापसी की अस्वीकृति से बचने के लिए है। सॉफ्टवेयर प्रदाताओं को सख्ती से सलाह दी जाती है कि वे करदाताओं को असुविधा से बचने के लिए इन नियमों का पालन करें जो अपने सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकते हैं।

2. मान्यता नियम ई–फाइलिंग/सीपीसी अंत में सत्यापन प्रक्रिया को प्रत्येक दोष के लिए आईटीआर–1 में नीचे के रूप में वर्गीकृत किया जाना हैः

किया जाने वाला दोष की श्रेणीः–

एक रिटर्न अपलोड करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि त्रुटि संदेश प्रदर्शित किया जाएगा।

बी रिटर्न डेटा को अपलोड करने की अनुमति दी जाएगी लेकिन रिटर्न अपलोड करने वाले करदाता को रिटर्न यू/एस 139 (9) में मौजूद संभावित दोष की सूचना दी जाएगी। सीपीसी से उचित नोटिस/संचार जारी किया जाएगा।

सी थर्ड पार्टी यूटिलिटी प्रोवाइडर्स को असंगत डेटा गुणवत्ता के बारे में सतर्क किया जाएगा और भविष्य में उनकी उपयोगिता के बारे में चेतावनी दी जाएगी।

डी रिटर्न डेटा को अपलोड करने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन रिटर्न अपलोड करने वाले करदाता को कटौती या दावे में से कुछ की संभावना के बारे में सूचित किया जाएगा या अनुमति नहीं दी जाएगी या मान्य नहीं किया जाएगा जब तक कि रिटर्न संबंधित दावे फॉर्म या विवरणों के साथ न हो। एक रिटर्न अपलोड करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। त्रुटि संदेश प्रदर्शित किया जाएगा।

1. कर कम्प्यूटेड लेकिन GTI (सकल कुल आय) शून्य या 0 है।
2. आईटीआर में कोई आय विवरण या कर गणना प्रदान नहीं की गई हैं, लेकिन संबंधित विवरण करों भुगतान किया गया है।
3. सकल कुल आय वेतन, घर से कुल आय के साथ मेल नहीं खा रहा है संपत्ति–अन्य स्त्रोत।
4. ''पार्ट डी'' में दिखाए गए ''कुल करों का भुगतान'' किए गए दावों के साथ असंगत हैं प्रासंगिक कार्यक्रम।
5. Donee अनुसूची 80G में उल्लिखित पैन,, के समान नहीं हो सकता है करदाता पैन या सत्यापन पैन।
6. रिटर्न में दर्ज नाम के अनुसार नाम के साथ मेल नहीं खाता है पैन की डेटा बेस से
7. एडवांस टैक्स, सेल्फ असिस्ट टैक्स, TDS, TCS फील्ड्स का कुल मिलाकर फील्ड ''टोटल टैक्स पेड'' से मेल खाना चाहिए।
8. डिडक्शन यू/एस 80 जी का दावा किया गया है लेकिन अनुसूची 80जी में कोई विवरण नहीं दिया गया है।

9. शेड्यूल टीडीएस 2 में, दावा किया गया टीडीएस क्रेडिट टैक्स में कटौती से अधिक है।
10. शेड्यूल टीडीएस 3 में, टीडीएस क्रेडिट का दावा कर कटौती से अधिक है।
11. TCS दावा किया गया टैक्स एकत्र किए जाने से अधिक है।
12. संपूर्ण अध्याय VI का दावा ''सकल कुल आय'' से अधिक नहीं होगा।
13. रकम दावा किया गया रिफंड ''कुल करों का भुगतान'' और ''कुल कर और ब्याज देय' के बीच अंतर के साथ असंगत है।
14. देय कर की राशि ''कुल कर के बीच के अंतर के साथ असंगत है तथा ब्याज देय और कुल कर अदा।
15. ''बैंक विवरण'' के तहत IFSC RBI डेटाबेस के साथ मेल नहीं खा रहा है।
16. करदाता के कुल आय 350000/– रूपये अधिक है, इसलिए आकलन Rebate u/s 87 का दावा नहीं कर सकते। पया आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 87 देखें
17. करदाता कटौती का दावा नहीं कर सकते यू/एस 80सीसीजी, अगर आकलन के कुल आय रूपये से अधिक है । 1200000/–
18. डिडक्शन यू/एस 80 टीटीए में 'बचत खाता ब्याज आय' के तहत खुलासा आय से अधिक नहीं हो सकता है अन्य सूत्रों का कहना है
19. योग की कटौती न u/s 80C, 80CCC और 80CCD (1) 1,50,000 से अधिक नहीं होगी।
20. घर की संपत्ति पर वार्षिक मूल्य पर कटौती वार्षिक मूल के 30 प्रतिशत के बराबर होनी चाहिए।
21. सकल किराया प्राप्त/प्राप्य/किराए पर देने मान शून्य और है करदाता नगरपालिका कर का दावा कर रहा है।
22. रिटर्न में 80 डीडी की कटौती का दावा किया जा रहा है पर उसे निर्दिष्ट नहीं किया गया हैं।
23. कटौती की प्रति u/s 80DDB रिटर्न में दावा किया जा रहा है पर उसे निर्दिष्ट नहीं किया गया हैं।
24. कटौती की प्रति यू/एस 80 यू का रिटर्न में दावा किया जाना पर उसे निर्दिष्ट नहीं किया गया है।
25. कुल आय ''सकल कुल आय'' और ''कुल कटौती के बीच अंतर होना चाहिए''।
26. अध्याय VI-A की कटौती का कुल हिस्सा व्यक्ति के ब्रेकअप के अनुरूप नहीं है कटौती लेकिन जीटीआई तक ही समिति है।
27. पेंशनरों द्वारा दावा किया गया कटौती यू/एस 80 सीसीडी (2) वेतन का 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए और नहीं हो सकता है।
28. अधिकतम राशि जिसे विकलांगता के साथ निर्भर श्रेणी के लिए दावा किया जा सकता है u/s 80DD75000 है।
29. अधिकतम राशि जिसे ''स्व या आश्रित'' श्रेणी के लिए दावा किया जा सकता है 80डीडीबी 40000 है।
30. अधिकतम राशि जिसे विकलांगता के साथ स्वंय श्रेणी के लिए दावा किया जा सकता है u/s 80U75000 है।
31. व्यक्ति ''छूट के बाद कर'' की राशि कुल आय पर देय कर की राशि के अनुरूप होना चाहिए, जैसा कि छूट के हिसाब से घटाया गया है।
32. ''कुल कर और'' ''रिबेट के बाद कर'' और ''हीथ एंड एजुकेशन'' के योग के अनुरूप होना चाहिए।
33. ''कुल कर, शुल्क और ब्याज'' ''कुल कर और'' के योग से उपकर, ब्याज यू/एस 234 ए, 234 बी, 234 सी और शुल्क यू/एस 234 एफ के रूप में राहत यू/एस 87 द्वारा कम करने यदि अलग हो।
34. डिडक्शन यू/एस 80 डी–प्रिवेंटिव हेल्थ चेक 5000 रूपये से अधिक नहीं हो सकता है।
35. भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 के प्रावधानों के अनुसार आयकर अधिनियम, 1961 में पढ़ागया, एक

नाबालिंग व्यक्तिगत क्षमता में कार्य नहीं कर सकता है। तदनुसार नाबालिग द्वारा निटर्न अपलोड की अनुमति नहीं है। केवल कानूनी वरिष्ठ नागरिक करदाता द्वारा दावा किया गया।

36. u/s 80 TTA के तहत कटौती वरिष्ठ नागरिक करदाता द्वारा दावा किया गया।
37. निश्चित भत्ता सरकार– PSU के कर्मचारियों को 16/(पप) रू. 5000 की सीमा तक छूट दी जाएगी।
38. व्यावसायिक कर u/s 16 (पपप) 5000 रूपये की सीमा तक ही अनुमति दी जाएगी।
39. व्यावसायिक कर u/s 16 (पपप) पेंशनरों के लिए अनुमति दी जाएगी।
40. कुल आय में अनुसूची, सकल वेतन राशि के बराबर होना चाहिए व्यक्तिगत के लिए।
41. अनुसूची में 'सकल' कुल आय, 'सकल वेतन' का अंतर होना चाहिए वेतन और भत्ते की सीमा तक छूट यू/एस 10
42. कुल आय में अनुसूची 'कटौती यू/एस 16' का योग होना चाहिए का व्यक्तिगत के लिए।
43. कुल सकल आय में, वेतन के तहत प्रभार्य आय अंतर' होनी चाहिए 'शुद्ध वेतन' और 'कटौती यू/एस 16' से
44. सकल किराया प्राप्त/प्राप्य/किराए पर देने मूल्य 'नही हो सकता शून्य या अशक्त यदि 'प्रकार की संपत्ति'' किराए पर दी हुए'' समझा जाने दिया है।
45. कुल आय में अनुसूची 'सकल वार्षिक मूल्य' का अंतर होना चाहिए किराया प्राप्त/प्राप्य/किराए पर देने वर्ष के दौरान मूल्य और स्थानीय को कर का भुगतान किया अधिकारी को
46. इन कुल आय की अनुसूची, ''हेड हाउस प्रॉपर्टी के तहत आय प्रभार्य संपत्ति "B2iii-B2iv-B2v-B2vi के मूल्य के बराबर नहीं है
47. आकलन स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के लिए धारा 80 डी के तहत कटोती का दावा कर रहा है लेकिन योग्य श्रेणी विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया है।
48. आकलन चिकित्सा व्यय के लिए धारा 80 डी के तहत कटौती का दावा कर रहा है लेकिन योग्य श्रेणी विवरण प्रदान नहीं किया गया है।
49. आकलन निवारक स्वास्थ्य जांच के लिए धारा 80 डी के तहत कटौती का दावा कर रहा है, लेकिन पात्र श्रेणी विवरण प्रदान नहीं किया गया है।
50. आकलन वरिष्ठ नागरिक नहीं होने और धारा 80 टीटीबी के तहत कटौती का दावा करना।
51. धारा 80 TTB के तहत कटौती ''बचत पर ब्याज से आय लेखा और जमा (बैंक/सहकारी/पोस्ट)'' के तहत दिखाया गया है ''अन्य स्त्रोत से आय से अधिक है।
52. उधार ली गई पूंजी पर ब्याज ''स्व–अधित'' घर के लिए रू. 200000 से अधिक है संपत्ति से आय।
53. अनुसूची TDS या TCS में TDS/TCS का दावा किया जाता है, लेकिन कर कटौती का वर्ष नहीं है चयनित।
54. कृषि आय को छूट के रूप में दिखाया गया है जो रू. 5000/– से अधिक नहीं हो सकती है ओर एक से अधिक बार चुने नही सकता।
55. अनुसूची 80 जी में, 'दान की पात्र राशि' कुल से अधिक नहीं हो सकती है। दान अनुसूची VIA में, कटौती का दावा किया गया यू/एस 80जी अनुसूची 80जी में वर्णित दान की पात्र राशि से अधिक नहीं हो सकता है।
56. स्वास्थ्य बीमा के लिए स्व और परिवार के लिए और स्वयं और परिवार के लिए, डिडक्शन यू/एस 80 डी निवारक स्वास्थ्य जांच के लिए रू. 25000/– से अधिक नहीं हो सकता।
57. स्वास्थ्य बीमा के लिए माता–पिता सहित स्वयं और परिवार के लिए डिडक्शन यू/एस 80 डी निवारक स्वास्थ्य जांच के लिए माता–पिता सहित स्वयं और परिवार के लिए रू. 50000/– से अधिक नहीं हो सकता है।
59. नियोक्ता श्रेणी 'पेंशनर्स' के लिए, डिडक्शन यू/एस 80 सीसीडी के तहत कुल आय का 20 प्रतिशत से

अधिक नही होना चाहिए।

60. ज्यादा से ज्यादा वह राशि जिसे 'कर्मचारियों' के अलावा यू/एस 80सीसीडी (1) के लिए दावा किया जा सकता है 'पेंशनर्स' वेतन का 10 प्रतिशत से अधिक होना चाहिए।
61. Dividend आय यू/एस 10(34) को छूट के रूप में दिखाया गया है, जो कि रू. 10000/– से अधिक नहीं हो सकता है और एक से अधिक बार नहीं चुना जा सकता है।
62. ''बचत खाते से ब्याज'' ड्रॉप–डाउन को एक से अधिक नहीं चुना जा सकता है पहर अन्य स्त्रोतों से आय के अंतर्गत।
63. ''जमा से ब्याज (बैंक/डाकघर/सहकारी समिति)'' ड्रॉप–डाउन को अन्य स्त्रोतों से आय के तहत एक से अधिक बार नहीं चुना जा सकता है।
64. स्वास्थ्य बीमा और निवारक स्वास्थ्य जांच के लिए वरिष्ठ नागरिक माता–पिता सहित स्वयं और परिवार के लिए डिडक्शन यू/एस 80 डी 75000/– रूपये से अधिक नहीं हो सकता है।
65. माता–पिता के लिए डिडक्शन यू/एस 80 डी वरिष्ठ नागरिक चिकित्सा व्यय 50000/– रूपये से अधिक नहीं हो सकता है।
66. स्वयं और परिवार (वरिष्ठ नागरिक) के लिए डिडक्शन यू/एस 80 डी) – चिकित्सा व्यय रू. 50000/– से अधिक नहीं हो सकता।
68. कुल छूट भत्ता सकल वेतन से अधिक नहीं हो सकता है।
69. सेक 10 (5)– Leave यात्रा रियात/ /प्राप्त सहायकता धारा 17 (1) के अनुसार वेतन से अधिक नहीं हो सकती।
70. Sec 10 (6) - Runueration को एक अधिकारी के रूप में जो भी नाम से पुकारा जाता है, प्राप्त होता है एक दूतावास, उच्चायोग आदि सकल वेतन से अधिक नहीं हो सकते।
71. Sec 10 (7)- भारत से बाहर भारत के एक नागरिक को भारत सरकार द्वारा नागरिक के रूप में भुगतान या अनुमति दी गई या भारत के बाहर सेवा प्रदान करने के लिए सकल वेतन से अधिक नहीं हो सकता है।
72. जब रोजगार की प्रति सरकार से अन्य है ''यू/एस 10 (10) से अधिक–सह–सेवानिवृत्ति की ग्रेच्युटी रू. 20 लाख से अधिक नहीं हो सकती है।
73. यू/एस 10 (10 ए) प्राप्त पेंशन का निर्धारित मूल्य वेतन से अधिक नहीं हो सकता है जैसा धारा 17(1) के अनुसार।
74. यू/एस 10 (10 एए) – रिटायरमेंट पर छुट्टी का इंश्योरेंस सेक्शन 17(1) के अनुसार सैलरी से ज्यादा नहीं हो सकता।
75. यू/एस 10 (10 बी) का दावा (मैं)– Retrenchment मुआवजा के संबंध में प्राप्त किया मंजूर की योजना 5 लाख रूपये अधिक नहीं हो सकती।
77. धारा 10 (10सी) का दावा – 'स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या सेवा समाप्ति पर प्राप्त होने वाली राशि' रू. 5 लाख से ज्यादा नहीं हो सकती।
78. Sec 10 (10 B) Sec 10 (10B) (ii) Sec 10 (10C) से एक से अधिक ड्रॉपडाउन का चयन नहीं किया जा सकता है (मैं)
79. धारा 10 (10सीसी) गैर– मौद्रिक अनुलाभ पर नियोक्ता द्वारा भुगतान किया गया भुगतान धारा 17 (2) के अनुसार अनुलाभ के मूल्य से अधिक नहीं हो सकता है।
80. u/s 10 (13ए)–घर के किराए पर किए गए खर्च को पूरा करने के लिए कोई शुल्क धारा 17 (1) के अनुसार वेतन का 1/3 तक से नहीं अधिक हो सकता।
81. Sec 10 (14) (मैं) 'निर्धारित भत्ते या लाभ (अनुलाभ की प्रति में नही) विशेष रूप से आवश्यक और विशेष रूप से और पूरी तरह से खर्चों को पूरा करने के लिए दी गई कार्यालय या रोजगार के कर्तव्यों के प्रदर्शन में वास्तव में होने वाली सीमा 'धारा 17 (2) के अनुसार अनुलाभ का मूल्य अधिक नहीं हो सकता है)

* * * * *

Source: Commercial Taxes Views, Badmer
Issue: 444 April 2021

Ref.: MPSSIO/23/2021-22/

परिपत्र क्रमांक : 17

आयकर रिटर्न फाइल करते समय की जाने वाली आम गलतियां और उस पर मिलने वाली सजा के बारे में जानकारी

लोग इनकम टैक्स और रिटर्न फाइल करने की बात करते है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी तेज हो जाता है और सैलरी क्लास कर्मचारियों को ये चिंता सताने लगती है कि कहीं अगले साल के लिए उनका टैक्स ज्यादा तो नहीं काट लिया जाएगा। हर साल आयकर डिपार्टमेंट इस दौरान कोई न कोई घोषणा जरूर करता है। इस साल आयकर डिपार्टमेंट की तरफ से एक और चेतावनी आई है।

डिपार्टमेंट का कहना है कि, अगर किसी ने गलत इनकम टैक्स भरा या फिर सिर्फ पैसे बचाने के लिए गलत जानकारी वाला रिटर्न भरा तो कर्मचारियों को इसका भुगतान करना पड़ेगा। अगर किसी ने गलती से भी ये किया है तो कंपनी को सूचित कर उचित कार्यवाही की जाएगी।

अगर कोई कर दाता अपनी सैलरी कम बताता है या फिर खर्च को बढ़ा–चढ़ाकर दिखाता है तो उसके खिलाफ कानूनी एक्शन लिया जाएगा। पिछले साल आयकर डिपार्टमेंट ने एक गिरोह का पर्दाफाश किया था जो सैलरी पाने वाले कर्मचारियों को फर्जी तरीके से टैक्स रिफंड हासिल करने में मदद करता था। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने वेतन भोगी करदाताओं के लिए नए आईटीआर फॉर्म को हाल ही में लिस्ट किया गया है।

क्या है सजा का प्रावधान ?

आयकर एक्ट के तहत सजा के अलग–अलग प्रावधान है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आखिर टैक्स भरने वाले ने गलती किस तरह की है, अगर टैक्स भरा ही नहीं तो उसके लिए भी अलग नियम है।

1. गलत जानकारी देनाः–

अगर किसी ने इनकम टैक्स भरते समय लगत जानकारी दी है तो उसे सेक्शन 270ए के तहत पेनल्टी भुगतनी पड़ेगी, ये आम तौर पर अपनी सैलरी कम बताते या आय से जुड़े दस्तावेज गलत दिखाने के लिए होती है।

गलती साबित होने पर आय पर टैक्स का 50 प्रतिशत हिस्सा पैनल्टी के तौर पर देना होता है। हालांकि अगर बताई गई आय गलत जानकारी का नतीजा है यानी गलत दस्तावेज जमा कर आय को गलत बताया गया है तो पेनल्टी 200 प्रतिशत तक बढ़ा दी जा सकती है।

2. अगर दस्तावेज नहीं है तोः–

अगर अकाउंट, सैलरी, आय आदि से जुड़े दस्तावेज IT एक्ट सेक्शन 44एए के तहत नहीं बनाए गए हैं तो आईटी ऑफिसर संबंधित इंसान पर 25000 रूपए का जुर्माना लगा सकता है।

3. टैक्स ऑडिट नहीं करनाः–

अगर प्रोसेसिंग के दौरान ये सामने आया कि टैक्स ऑडिट ड्यू था और उसे नहीं करवाया गया है तो सेक्शन 271बी के तहत पेनल्टी लगाई जा सकती है। ये सिर्फ व्यापारियों या कंपनियों के लिए है। पेनल्टी सेल्स का 0.5 प्रतिशत होगी। हालांकि, इस केस में भी पेनल्टी 50 हजार से ज्यादा नहीं बढ़ सकती। इसलिए अगर सेल जदा है तो ग्रॉस रिसीट, ग्रॉस टर्नओवर पर भी ध्यान दिया जा सकता है।

4. टीडीएस की पेनल्टीः–

अगर ये पाया गया कि किसी व्यक्ति का टीडीएस ठीक तरह से नहीं कटा या वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक नहीं पहुंचा तो टीडीएस जितना होगा उतनी ही पेनल्टी लगेगी। इसी तरह टैक्स कलेक्शन एक्ट सोर्स यानी टीसीएस के तहत नियम है।

5. लोन अगर कैश में लिया है तोः–

अगर ये पता चलता है कि किसी व्यक्ति ने कैश में 20 हजार से ज्यादा का लोन लिया है और उसकी जानकारी नहीं दी तो जितना लोन लिया है उतनी ही पेनल्टी आईटी डिपार्टमेंट लगा सकता है। ये सेक्शन 271डी के तहत लगती है।

इसी तरह लोन की रकम कैश में वापस की गई है जो 20 हजार से ज्यादा है तो सेक्शन 271ई के तहत पेनल्टी लगाई जाएगी।

6. इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया गया तोः–

अगर इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल किया गया तो सेक्शन 271एफ के तहत पेनाल्टी लगाई जाएगी। इसके लिए 5000 रूपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

अगर ये जानकारी मिलती है कि टीडीएस रिटर्न साल भर के अंदर नहीं फाइल किया गया है तो पेनल्टी 10 हजार से 1 लाख रूपए तक हो सकती है।

7. पैन न देना या फिर गलत पैन नंबर अटैच करनाः–

अगर फिर व्यक्ति ने पैन कार्ड इनकम टैक्स अकाउंट से नहीं लिंक किया है तो इसे भी एक अपराध माना जाएगा। अगर गलत पैन डिटैल्स दी हैं तो भी ये अपराध की श्रेणी में आता है ऐसे में 10 हजार रूपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

8. टैन (TAN) नंबर न देने परः–

अगर किसे ने टैन (Tax Deduction and Colletion Account Number) नहीं दिया या डिटैल्स गलत दी है तो उसके लिए भी 10 हजार रूपए का जुर्माना लगाया जाएगा।

अगर इनमें से कोई गलती ज्यादा बड़ी समझ आती है और किसी का जुर्म साबित हो जाता है तो जुर्माने के साथ–साथ उसे जेल भी हो सकती है।

हालांकि, कई लोग जानबूझ कर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को झांसा देने की कोशिश करते है, लेकिन कुछ वाकई गलती कर बैठते हैं जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है, वो आईटी गलतियां जो अक्सर लोग दोहराते है:

1. गलत आईटीआर फार्म भरनाः–

ये सबसे आम गलती है जो लोग दोहराते है, गलत आईटीआर फार्म भरने से कोई भी इन्कम टैक्स डिपार्टमेंट के निशाने पर आ सकता है।

आईटीआर फार्म हर तरह की इनकम के लिएः

अगर कोई सैलरी पाने वाला कर्मचारी है तो उसे आईटीआर 1 फॉर्म (सहज) भरना होगा। सभी फार्म 2018 में बदले गए है और ये incometaxindiaefiling.gov.in ककी वेबसाइट पर उपलब्ध है।

2. फार्म 26एएस को वेरिफाई नहीं करनाः–

कोई कर्मचारी अपना सही पैन कंपनी देता है, पर गलती यहां हो सकती है अगर कर्मचारी का टैन या फिर किसी करदाता का पैन गलत है तो वो इंसान टीडीएस क्रेडिट नहीं ले सकता है। इस फार्म में वो डिटेल्स दी जाती है जिससे पता चलता है कि, कितना अमाउंट टैक्स के लिए दिया जा चुका है, कितना नहीं और बांकी सभी डिटेल्स इस फार्म में दी होती है, किसी भी व्यक्ति को अपना 28एएस फार्म चेक कर लेना चाहिए।

3. गलत डिटेल्स देनाः–

नाम, पता, आधारकार्ड नंबर आदि बहुत जरूरी है इनकम टैक्स फाइल करने के लिए, कोई भी बहुत आसानी से कोई बड़ी गलती कर सकता है, इन सभी का रिव्यू होता है और अगर कोइ भी गलती पाई गई तो टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता और इनकम टैक्स रिफंड नहीं मिल सकता, इसके लिए डिपर्टमेंट रिवर्स रिटर्न फाइल करने की सुविधा देता है।

4. डिडक्शन के लिए अप्लाई नहीं करनाः–

ये बहुत जरूरी है कि टैक्स कम किया जाए जितना जरूरी है उतना ही दिया जाए। इनकम टैक्स डिडक्शन के लिए कई दस्तावेज जमा किए जाते है, इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80 के तहत कई सारे डिडक्शन होते हैं और इन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है, इसमें पीपीएफ अकाउंट, म्यूचुअल फंड, ट्यूशन फीस, रेंट आदि सब शामिल है, अगर ये समय पर नहीं भरे गए तो आईटी डिपार्टमेंट दूसरा मौका नहीं देगा।

5. सभी इनकम बतानाः–

अक्सर लोग इस बात से कन्फ्यूज हो जाते है कि लॉटरी से मिली इनकम, मकान या दुकान बेचने से मिली इनकम, आरडी से मिली इनकम (Interest) आदि टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं देना है, लेकिन ऐसा नहीं है। सभी इनकम बताना जरूरी है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो नोटिस आ सकता है। स्टॉक डिविडेंट्स, सेविंग्स अकाउंट से मिला इन्ट्रेस्ट आदि भले ही टैक्सेबल न हो, लेकिन इनकी जानकारी डिपार्टमेंट को देना जरूरी है।

6. आईटीआर–V को समय पर वेरिफाई नहीं करनाः–

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय रिटर्न को डिजिटली वेरिफाई या साइन करना होता है। अगर डिजिटल सिग्नेजचर नहीं है तो सरकार ये मौका देती है कि आईटीआर–V साइन किया हुआ भेजा जाए, रिटर्न फाइल करने के 120 दिन के अंदर आईटीआर–V फार्म भेजना होता है, इसके अलावा रिटर्न ई–वेरिफाई भी किया जा सकता है। अक्सर लोग इसे करना भूल जाते है और इससे फाइल किया हुआ रिटर्न मान्य नहीं रह जाता।

तो ध्यान रहे कि रिटर्न फाइल करना और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सही जानकारी देना बहुत जरूरी है।

* * * * *

Source: Commercial Taxes Views, Badmer
Issue: 444 April 2021

Ref.: MPSSIO/23/2021-22/

MPSSIO की ओर से संपादक **विपिन कुमार जैन** द्वारा **मोना इन्टरप्राईजेस, न्यू मार्केट, भोपाल** से मुद्रित, **विपिन कुमार जैन** द्वारा प्रकाशित तथा **ई–2/30, महावीर नगर, अरेरा कालोनी, भोपाल 462016** में प्रकाशित Ph.: 0755–2467714, 4917785 email: mpssio@rediffmail.com, Website: www.mplus.co.in